दूरभाष/Telephone: 26175176
फैक्स/FAX: 26162093
ई-मेल/E-mail: ddhts-exam-dol@nic.in

संख्या-30/3/2025-उ0नि0(परीक्षा)/ 333

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
DEPTT OF OFFICIAL LANGUAGE, MHA
हिंदी शिक्षण योजना
HINDI TEACHING SCHEME
उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (EXAM)

पूर्वी खंड-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम,
EAST BLOCK-7, LEVEL-6, R.K.PURAM,
नई दिल्ली NEW DELHI-110066.
दिनांक /DATE: 18 MAR 2025

सेवा में

सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध

विषयः-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा जुलाई, 2025 की समय-सारणी तथा प्रणाली में प्रशिक्षार्थियों का विवरण अपलोड करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षाएँ परीक्षा स्कंध द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह में आयोजित की जाती है। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/अल्पावधि/प्राइवेट/पत्राचार तथा पूरक परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के अगले माह के अंतिम कार्य दिवस पर घोषित किया जाता है।

जुलाई, 2025 में आयोजित की जाने वाली हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षाओं के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं उसकी मॉनीटरिंग को चुस्त बनाने के लिए पूर्व की भांति हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक परीक्षा संबंधी कार्य निम्नवत् करना सुनिश्चित् करें:-

1. हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के प्रशिक्षार्थियों का विवरण संकाय सदस्य/सहायक निदेशक द्वारा प्रणाली में भरने के पश्चात् क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/उप निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि), पत्राचार द्वारा सत्यापित कर परीक्षा शाखा को प्रणाली में अग्रेषित किया जाए। किसी भी प्रशिक्षार्थी का मैनुअल परीक्षा फार्म परीक्षा शाखा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं कार्मिकों की परीक्षा होगी जिनका विवरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली पर भरा होगा।
2. सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/उप निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि), पत्राचार स्वयं इसकी मॉनीटरिंग करके यह सुनिश्चित् करें कि उनके अधीनस्थ प्रत्येक संकाय सदस्य/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि) द्वारा पूरा डाटा प्रणाली में सही भरा गया है।
3. फरवरी-जुलाई 2025 सत्र के लिए प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2025 निर्धारित है। प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के पंजीकरण सत्यापित कर उप निदेशक (परीक्षा) को भिजवाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2025 निर्धारित है। सत्यापन के तुरंत बाद क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/उप निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि), पत्राचार उप निदेशक (परीक्षा) को ई-मेल द्वारा सूचना देना सुनिश्चित करें।

.....2/-

4. प्राइवेट प्रशिक्षार्थियों का विवरण क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/उप निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि) द्वारा प्रणाली में अपलोड किया जाएगा, जिसकी प्रणाली के अंतर्गत अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2025 निर्धारित है। विवरण को सत्यापित कर दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक परीक्षा शाखा को प्रणाली में अग्रेषित किया जाए।

5. पत्राचार पाठ्यक्रम (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान) के प्रशिक्षार्थियों का विवरण संकाय सदस्य/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि)/उप निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि) द्वारा प्रणाली के माध्यम से ही 15 अप्रैल, 2025 तक अपलोड कर संयुक्त निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि)/उप निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि) पत्राचार द्वारा सत्यापित कर दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक परीक्षा शाखा को प्रणाली में अग्रेषित किया जाए।

6. नियमानुसार परीक्षार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 25-25 अंक अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है। प्रश्न-पत्र द्वितीय (गति परीक्षा) में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 श.प्र.मि. (9000 KDPH) की गति होगी। किसी एक प्रश्न पत्र में 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को पूरक घोषित किया जाएगा।

7. पूरक परीक्षार्थियों को अपनी पूरक परीक्षा अगले सत्र में देनी होती है, नहीं तो आगे के सत्रों में प्राइवेट प्रशिक्षार्थी रूप में दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित होना पड़ता है, फरवरी-जुलाई 2025 सत्र के हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी को जनवरी, 2026 में पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रणाली में पुन: विवरण अपलोड नहीं करना होगा। पूर्व में जारी पंजीकरण के आधार पर ही उसे परीक्षा देनी होगी। ऐसे परीक्षार्थियों का विवरण उप निदेशक (परीक्षा) को अग्रेषित करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2025 है।

8. हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के 5 दिवसीय कक्षा में पढ़ाई के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम **(Validation Course)** के प्रशिक्षार्थियों का विवरण संकाय सदस्य/सहायक निदेशक द्वारा अपलोड किया जाएगा। जिसे क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/उप निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि) द्वारा सत्यापित करके उप निदेशक (परीक्षा) को ई-मेल द्वारा सूचित किया जाए।

9. प्रशिक्षार्थी के परीक्षा केंद्र परिवर्तन/बैच परिवर्तन संबंधी कार्रवाई क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/उप निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि), पत्राचार के माध्यम से की जाएगी, जिसकी सूचना उनके द्वारा उप निदेशक (परीक्षा) को ई मेल द्वारा दी जाएगी। उक्त प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित तिथि से 30 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। उसके पश्चात् केंद्र परिवर्तन/बैच परिवर्तन हेतु दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित संकाय सदस्य/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि), प्राइवेट एवं पूरक परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक तथा पत्राचार परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र उप निदेशक (टंकण पत्राचार स्कंध)/संकाय सदस्य/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि) यथासमय सभी संबंधित परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवा सकते हैं।

11. संकाय सदस्य/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि) पत्राचार द्वारा प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क का विवरण भरने के पश्चात् तथा परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकृति के पश्चात ही परीक्षा प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे। केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है। भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए रु.100/- परीक्षा शुल्क देय है।

.....3/-

शुल्क संबंधी जानकारी

विकल्प-I

RTGS/NEFT के लिए आवश्यक विवरणः-

बैंक का नाम	-	भारतीय स्टेट बैंक, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
खाता संख्या	-	35148065018
ब्रांच कोड	-	00625
IFSC कोड	-	SBIN0000625

(ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद संयुक्त निदेशक (परीक्षा)/उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजना अनिवार्य है।)

विकल्प-II

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स (steps)-

(1) सबसे पहले State Bank of India की website www.onlinesbi.com में State Bank Collect (SB Collect) नामक उपशीर्षक पर जाएं या State Bank of India की website www.onlinesbi.com पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने के बाद State Bank Collect (SB Collect) नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।

(2) State Bank Collect (SB Collect) पेज पर State of Corporate/Institution में All India select करें तत्पश्चात Type of Corporate/Institution में Govt. Department select करें एवं GO को क्लिक करें।

(3) Govt. Department Name में **HINDI TEACHING SCHEME, D/o OFFICIAL LANGUAGE, MHA** को submit करें।

(4) Select Payment Category में **HINDI TEACHING SCHEME** select करें। Select करते ही एक फार्म खुल जाएगा।

(5) इस फार्म को भरने के पश्चात submit करें। Submit करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को Confirm कर Payment करें।

(6) **Payment करने के बाद Receipt (रसीद) के प्रिंट की प्रति उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजना अनिवार्य है।**

12. प्रणाली के अंतर्गत संकाय सदस्य/उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा केंद्र अधीक्षक संबंधी पूर्ण जानकारी भरी जाएगी। इसके अंतर्गत केंद्र अधीक्षक का नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं., कार्यालय का फोन नं., कार्यालय का पूरा पता तथा परीक्षा केंद्र का पूरा पता आदि देना अनिवार्य है। सहायक निदेशक यह सुनिश्चित करें कि **केंद्र अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी हों और उसी शहर में कार्यरत हों** तथा परीक्षा के दिनों में उनके स्थानांतरण/अवकाश पर जाने की संभावना न हो। उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया जा सकता है जो कि राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हों।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं ई मेल आई.डी. निम्नवत हैः-

(1) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 ddhts-nc-dol@nic.in	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।

....4/-

(2) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (दक्षिण)
हिंदी शिक्षण योजना,
ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन,
बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090
ddhts-south-dol@nic.in

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना तथा पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।

(3) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पूर्व)
हिंदी शिक्षण योजना,
18वां तल, निजाम पैलेस परिसर,
234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड,
कोलकाता-700020
ddhts-east-dol@nic.in

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान-निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।

(4) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पश्चिम)
हिंदी शिक्षण योजना,
केंद्रीय सदन, सी. विंग,
छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर,
नवीं मुंबई-400614
ddhts-west-dol@nic.in

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमण दीव, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए ।

(5) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पूर्वोत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना,
पू.सी.रेलवे मुख्यालय,
मालीगांव, गुवाहाटी-II (असम)
ddhts-ne-dol@nic.in

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित कार्यालयों के लिए।

(6) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि)
(हिंदी टंकण पत्राचार स्कंध)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
2-ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली - 110011
ddtc-chti-dol@nic.in, chti1051@nic.in, chti1053@nic.in, chti1049@nic.in

अखिल भारतीय स्तर पर

13. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि) द्वारा केंद्र अधीक्षक का विवरण भी प्रणाली के माध्यम से भरकर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/उप निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि), पत्राचार द्वारा परीक्षा स्कंध को अग्रेषित किए जाएं ताकि परीक्षा संबंधी आगामी कार्रवाई जैसे कि केंद्र अधीक्षक का नियुक्ति पत्र, प्रश्न-पत्र एवं परीक्षा सामग्री आदि यथासमय भिजवाई जा सके।

.....5/-

14. भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को रु.10/- परीक्षा शुल्क देय है, जिसका विवरण प्रणाली में अपलोड होने के पश्चात ही उनका परीक्षा प्रवेश पत्र जारी होगा।

15. परीक्षा से संबंधित बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन द्वारा केंद्र अधीक्षक एवं ड्यूटी करने वाले सभी कार्मिकों के बैंक खाते में किया जाएगा। अतः बिल के साथ केंद्र अधीक्षक एवं ड्यूटी करने वाले सभी कार्मिकों के बैंक खाते का विवरण, बैंक/शाखा का नाम, खाता संख्या, आई एफ एस सी कोड (IFSC CODE), मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आई डी अनिवार्य रूप से संलग्न कर भेजें ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन हो सके। सुगमता को देखते हुए रद्द (कैंसिल) चैक की एक फोटो प्रति भी भेजी जाए। अधूरी सूचना के या अधूरे भरे हुए बिल अथवा ड्यूटी करने वाले सभी कार्मिकों का बैंक खाता विवरण न होने पर बिल का भुगतान करना संभव नहीं होगा।

जुलाई, 2025 में T1 नियमित, T3 अल्पावधि, P2 प्राइवेट, T2 पत्राचार प्रशिक्षण एवं टंकण पूरक परीक्षार्थियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की समय-सारणी

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा की समय-सारणी तथा टंकण (पूरक)

परीक्षा की तारीख	दिन	बैच	समय
08.07.2025	मंगलवार	1	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
08.07.2025	मंगलवार	2	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
09.07.2025	बुधवार	3	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
09.07.2025	बुधवार	4	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
10.07.2025	गुरुवार	5	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
10.07.2025	गुरुवार	6	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
11.07.2025	शुक्रवार	7	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
11.07.2025	शुक्रवार	8	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
14.07.2025	सोमवार	9	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
14.07.2025	सोमवार	10	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
15.07.2025	मंगलवार	11	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
15.07.2025	मंगलवार	12	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
16.07.2025	बुधवार	13	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
16.07.2025	बुधवार	14	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक

टिप्पणीः-विशेष परिस्थिति में यदि किसी केंद्र पर आशुलिपि परीक्षा आयोजित करना हो तो दिनांक 17.07.2025 (गुरुवार) को आयोजित की जाएगी।

भवदीया

प्रतिभा मलिक

(प्रतिभा मलिक)

उप निदेशक (परीक्षा)

पृष्ठांकन संख्या-30/3/2025-उ.नि.(परीक्षा) 337 दिनांक 18 MAR 2025 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II, बी विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
3. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II, बी विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को इस अनुरोध के साथ कि इसे सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न नराकास अध्यक्षों को परिचालित करवाने की कृपा करें।
4. नोडल अधिकारी (वेबसाइट), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस आशय के साथ कि वे इसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/राजभाषा विभाग (chti.rajbhasha.gov.in) की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रतिभा मलिक

(प्रतिभा मलिक)
उप निदेशक (परीक्षा)